संख्या-416/2024/ 3862 /चार-2024-1872261

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2024**

विषय:- महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अवसर पर प्रयागराज में बाल कार्यशालाओं के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3762 /सं0नि0-महाकुम्भ, प्रयागराज (बला कार्यशालाएं)/2024-25, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अवसर पर प्रयागराज में बाल कार्यशालाओं के आयोजन हेतु निम्नवत् व्यय प्रस्तावित किया गया है :-

क्र.	मदवार विवरण	विवरण	धनराशि (समस्त कर सहित)
1	प्रशिक्षक का मानदेय (सहयोगी का मानदेय, प्रस्तुति के दिन संगतकर्ताओं का मानदेय) 60000- प्रति (दर x प्रशिक्षणकर्ता की सं0)	60000x9	540000
2	स्थानीय समन्वयक-15 दिवस (1000 प्रतिदिन) (दर x समन्वयक की सं0 x दिवस)	1000 x 9 x 15	135000
3	15 दिवसों हेतु 09 छोटे वाहन- समन्वयक/ प्रशिक्षणकर्ताओं हेतु (दर x संख्या ग दिन)	2500 x 9 x 15	337500
4	15 दिवसों हेतु होटल का किराया प्रयागराज के बाहर के 06 प्रशिक्षक हेतु 06 कक्ष (दर x संख्या ग दिन)	2500 x 06 x 15	225000
5	15 दिवसों हेतु खाना (09 प्रशिक्षक)- (नाश्ता एवं खाना सुबह एवं रात्रि-रू0 800) मेला प्रशासन/सचिवालय प्रशासन/जेम/टेण्डर की दरों पर	9x 800 x 15	108000
6	नाश्ता प्रशिक्षण पाने वाले बालक/बालिकाओं हेतु प्रति कार्यशाला 40- इस प्रकार 09 कार्यशालाओं हेतु 450 एवं 50 समन्वयक/ प्रशिक्षक एवं सहयोगी सहित-कुल 500 मेला प्रशासन की दरों के आधार पर (पूड़ी सब्जी एवं केला-रू0 60)	500 x 60 x15	450000
7	आभूषण, मोरपंख, मेकअप एवं अन्य सामग्री आदि का किराया एवं क्रय (दर x प्रशिक्षार्थी) रिहर्सल एवं प्रस्तुति हेतु	700 x 400	280000
8	ड्रेस (वेशभूषा) का किराया (दर x प्रशिक्षार्थी) रिहर्सल एवं प्रस्तुति हेतु	500 x 400	200000
9	मेकअप मैन का पारिश्रमिक (दर x संख्या)	400 x 200	80000
10	होर्डिंग, बैनर, स्टैण्डी, हैण्ड पम्फलेट, निमंत्रण पत्र आदि	10 x 16000	160000
11	ब्रोशर बुक डिजाइन सहित (दर x संख्या)	300x 200	60000
12	प्रशिक्षार्थियों का प्रमाण पत्र (दर x संख्या)	35 x 500	17500
13	बैनर बैक ड्राप सहित बड़े (दर x संख्या x फीट) कार्यशाला एवं प्रस्तुति हेतु	50 x 18 x 120	108000
14	टेण्ट, ध्वनि उपकरण प्रशिक्षण स्थल पर (दरी, कुर्सी, मेज, लाइट, साउण्ड, माइक आदि) (9 स्थलों पर, 14 दिवस)	09 x 20000	180000
15	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी(15 दिवस)	09 x 25000	225000
16	मोमेन्टो 400/-प्रति (दर x प्रशिक्षार्थी/समन्वयक/ प्रशिक्षणकर्ता)	400 x 550	220000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17	अन्य प्रकीर्ण व्यय	-	50000
	(रू0 तैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) कुल योगः रू0		3376000

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अवसर पर प्रयागराज में बाल कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि रू0 33,76,000/- (रू0 तैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूचना/ पर्यटन/ सचिवालय प्रशासन / मेला प्रशासन, प्रयागराज/ टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 416/2024 / 3862 (1)/चार-2024-1872261 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।